Title: Need to withdraw excise duty levied on marble units in Rajasthan- Laid.

प्रो0 रासासिंह रावत (अजमेर): महोदय, राजस्थान की मार्बल इकाइयों द्वारा डोलोमाइट के सरपन्टाइन खनिज की चिराई की जाती है। डोलोमाइट व सरपन्टाइन खनिज मार्बल से काफी सस्ता होता है। डोलोमाइट व सरपन्टाइन की चिराई करने वाली इकाइयों पर केन्द्र सरकार द्वारा भारी उत्पाद शुल्क लगा दिये जाने से इन उद्योगों की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है जबकि इसी तरह के अन्य ग्रेनाइट आदि खनिजों को उत्पाद शुल्क से छूट या मुक्ति मिली हुयी है। वर्तमान में उत्पाद शुल्क की दर 30/-रू0 प्रति वर्ग मीटर है, जो कि औसतन 40 से 180 रूपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत के डोलोमाइट व सरपन्टाइन ग्लेब व टाइल्सों पर बहुत अधिक भार है। उत्पाद शुल्क के अलावा रॉयल्टी व बिक्रीकर भी वसूल किया जाता है, जिससे उनका उत्पादन काफी मंहगा हो जाता है। अधिकांश इकाइयों द्वारा खदानों से प्र ाप्त लफर व ब्लॉक्स की चिराई की जाती है जो कि प्रोसेसिंग के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार की छोटी बड़ी इकाइयां पूरे देश में एक हजार से ज्यादा हैं, जो अधिकांश लघु उद्योग के अन्तर्गत आती हैं और लघु उद्योग को उत्पाद शुल्क से मुक्ति मिली हुयी है लेकिन राजस्थान के इस एकमात्र सहारा मार्बल उद्योग पर उत्पाद शुल्क लगा रखा है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के लाखों लोगों की जीविका प्रदान करने वाले मार्बल उद्योग इकाइयों को उत्पाद शुल्क से अविलम्ब मुक्ति प्रदान की जाये।